148

उम्मीदवारों का चयन

§1§ "आय जांच" के आधार पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी ।

§2§ उन उम्मीदवारों को जो एक राज्य से संबंधित है किन्तु दूसरे राज्य में अध्ययन कर रहे हैं, उस राज्य द्वारा छात्रवृत्तियां दी जाएंगी जिस राज्य के वे हैं तथा वे अपना आवेदन पत्र उसी राज्य की सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे । शुल्कों में छूट तथा अन्य रियायतों के मामले में भी यही समझा जाएगा कि वे अपने ही राज्य में अध्ययन कर रहे हैं ।

छात्रवृत्ति की अवधि तथा नवीकरण

§1§ एक बार दी गई छात्रवृत्ति उसको दिए जाने की अवस्था से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक ग्राह्य होगी बशर्ते कि छात्र का आचरण अच्छा रहे तथा उपस्थिति में नियमितता रहे । यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीकृत होगी परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के संबंध में जो कि अनेक वर्षों तक सतत् चलता रहता है । छात्र हर वर्ष उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में पहुंचता रहे, परीक्षाएं भले ही विश्व विद्यालय द्वारा ली जाएं अथवा संस्था द्वारा ।

§2§ मेडिकल तथा इंजीनियरी पाठ्यक्रम करने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का छात्र यदि पहली बार परीक्षा में असफल रहता है तो छात्रवृत्ति का नवीकरण किया जा सकता है । किसी भी कक्षा में दूसरी बार अथवा तत्पश्चात् असफल होने पर विद्यार्थी को अपना खर्च तब तक स्वयं वहन करना होगा जब तक वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता ।

§3§ यदि छात्र अस्वस्थता तथा/अथवा/ किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा/अथवा/ संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके द्वारा §संस्था के प्रमुख§ यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीकृत की जाएगी ।

§4§ यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ/हुई हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात् दुबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति